



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह दिनांक – 15.04.2024

“अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह” के क्रम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा स्कूली छात्र/छात्राओं को अग्नि सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक किया गया।

अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत आज दिनांक 15-04-2024 को नगर बिजनौर सहित सभी तहसीलों के स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं में छात्र/छात्राओं के मध्य अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक निबन्ध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसका विषय था “**Ensure Fire Safety, Contribute towards Nation Building**” “अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें, राष्ट्रीय निर्माण में योगदान दें”।

तहसील बिजनौर में मैरीटा पब्लिक स्कूल बैराज रोड बिजनौर, के0पी0एस0 कन्या इन्टर कॉलेज बिजनौर, मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल मण्डावर रोड बिजनौर, एस0डी0 इन्टरनेशनल स्कूल मण्डावर रोड बिजनौर, सैट मैरी पब्लिक स्कूल नजीबाबाद रोड बिजनौर में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।

तहसील धामपुर में रामगोपाल रामचन्द्र सरस्वती विद्या मन्दिर इन्टर कॉलेज धामपुर, सारंग कान्वेंट पब्लिक स्कूल नगीना रोड धामपुर, के0एम0 इन्टर कॉलेज धामपुर में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।

तहसील चॉदपुर में वैदिक कन्या इन्टर कॉलेज चॉदपुर, हिन्दू इन्टर कॉलेज चॉदपुर, रहमिया इन्टर कॉलेज चॉदपुर में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।

तहसील नगीना में एल0आर0एस0 इन्टर कॉलेज बिजनौर रोड नगीना, जनता इन्टर कॉलेज, कोतवाली देहात, सैट मैरी स्कूल धामपुर रोड नगीना, मिलेनियम पब्लिक स्कूल कोतवाली देहात में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।

तहसील नजीबाबाद इम्पीरियल इन्टरनेशनल स्कूल नजीबाबाद, मूलचन्द सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल कोटद्वार रोड नजीबाबाद, ग्रीन लाईट सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल नजीबाबाद में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों का वितरण किया गया।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना हीमपुर दीपा

दिनांक 15.04.2024

थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 194/23 धारा 380/457 भादवि व मु0अ0सं0 12/24 धारा 380/457 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 02.11.2023 को वादी श्री अशोक कुमार पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम हीमपुर दीपा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि वादी के घर से अज्ञात चोरो द्वारा भैंस चोरी कर ली है । इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 194/23 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।



दिनांक 11.02.2024 को वादी श्री मुगीस

अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी ग्राम नसीरपुर शेख थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ने थाना हीमपुर दीपा पर तहरीर दी कि वादी के घर से अत चोरो द्वारा 02 भैंस चोरी कर ली है। इस संबंध में थाना हीमपुर दीपा पर मु0अ0सं0 12/24 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही -

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हीमपुर दीपा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/23 धारा 380/457 भादवि व मु0अ0सं0 12/24 धारा 380/457 भादवि में विवेचनात्मक कार्यवाही में प्रकाश में अभियुक्त मोनू पुत्र इकराम निवासी ग्राम जमालपुर खुर्द थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड को हीमपुर दीपा पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मोनू उपरोक्त के अन्य साथियों 1- शहजाद मुल्ला उर्फ शमशाद पुत्र रशीद निवासी कुंगर पट्टी ग्राम सुजडू थाना कोतवाली शहर जनपद मुजफ्फरनगर हाल निवासी मौ0 सुभाष नगर थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर 2- मौ0 फहीम पुत्र सजाउद्दीन निवासी कराल थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 3- नितिन पुत्र मदन निवासी आनन्द खेडी थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 4- अलीशान पुत्र कय्यूम निवासी भरापुर भोरी थाना ज्वालापुर हरिद्वार को चोरी की 02 भैंस सहित गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मोनू पुत्र इकराम निवासी ग्राम जमालपुर खुर्द थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0-12/24 धारा-380/457 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं-194/23 धारा-380/457 भादवि थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
3. मु0अ0सं0-258/23 धारा-380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
4. मु0अ0सं0-257/23 धारा-380 भादवि थाना बढापुर जनपद बिजनौर ।
5. मु0अ0सं0-272/23 धारा-380/457 भादवि थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- 2-आरक्षी अनुज शर्मा थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।
- 3-आरक्षी कुश कुमार थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 15.04.2024

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.04.2024 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त क्षतरपाल पुत्र भिक्कु सिंह नि0 ग्राम तिबडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

क्षतरपाल पुत्र भिक्कु सिंह नि0 ग्राम तिबडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 603 आदेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
3. का0 2510 विजय थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां

दिनांक – 15.04.2024

थाना शिवालाकलां पुलिस ने मु0अ0सं0 50/2024 धारा 498A/304B भादवि व धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 13.04.2024 को वादी श्री जशपाल पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम बिजरा थाना नौगांवा सादात जनपद अमरोहा ने थाना शिवालाकलां पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.रावेन्द्र 2.राजीव व 3.गौरव पुत्रगण ब्रह्मपाल 4.मुन्नी पत्नी गौरव 5.रिंकी पत्नी राजीव निवासीगण ग्राम जौनपुर थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज के लिये प्रताडित करते थे । दिनांक 12.04.2024 को उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को फांसी देकर हत्या कर दी । तहरीर के आधार



पर थाना शिवालाकलां पर मु0अ0सं0 50/2024 धारा 498A/304B भादवि व धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम रावेन्द्र (मृतका का पति) आदि उपरोक्त कुल 05 नफर पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

जनपद मे अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शिवालाकलां पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 50/2024 धारा 498A/304B भादवि व धारा ३/४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वांछित अभियुक्त रावेन्द्र पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम जौनपुर थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रावेन्द्र पुत्र ब्रह्मपाल सिंह निवासी ग्राम जौनपुर थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री अरविन्द कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1900 दीपक कुमार थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नजीबाबाद

दिनांक 15.04.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी / वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.04.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मोहित पुत्र दलजीत सिंह नि० मौ० शामली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित पुत्र दलजीत सिंह नि० मौ० शामली थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० हरेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. हे०का० 03 गुलाब सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक 15.04.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की गयी मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.04.2024 को वादी श्री सलीम अहमद पुत्र अकील अहमद निवासी मौ० शेखान तलाई कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि दिनांक 11.04.2024 को अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटरसाइकिल पैशन प्रो रजि० सं० UP14CS7198 चोरी कर ली है । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु०अ०सं० 151/2024 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्त दानिश पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी मौ० शेखान तलाई कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।



कार्यवाही –

जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने व वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी मौ० शेखान तलाई कस्बा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को चोरी की गयी मोटर साइकिल पैशन प्रो रजि० नं० UP14CS7198 सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

दानिश पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी मौ० शेखान तलाई कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

बरामदगी –

मोटरसाइकिल पैशन प्रो रजि० सं० UP14CS7198

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

उ०नि० श्री चन्द्रप्रकाश गंगवार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
का० 2075 शिवम देशवाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना स्योहारा

दिनांक – 15.04.2024

थाना स्योहारा पुलिस ने मु0अ0सं0 143/24 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.04.2024 को वादी द्वारा थाना स्योहारा पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त रितिक कुमार पुत्र रोहताश सिंह निवासी ग्राम मेवानवादा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला – फुसलाकर अपने साथ ले गया है । तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 143/24 धारा 363/366 भादवि बनाम रितिक उपरोक्त पंजीकृत किया गया । स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया ।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 143/24 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त रितिक कुमार पुत्र रोहताश सिंह निवासी ग्राम मेवानवादा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

रितिक कुमार पुत्र रोहताश सिंह निवासी ग्राम मेवानवादा सहसपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री चन्द्रप्रकाश गंगवार थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2075 शिवम देशवाल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर